आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख		आदेश पर व गई कार्रवाई बारे में

उपायुक्त–सह–जिलादण्डाधिकारी का न्यायालय,गिरिडीह

(Email id-dccourt.grd@gmail.com)

Miscellaneous Appeal No :- 03/2023

मोहिनी देवी जलान–बनाम–झारखण्ड राज्य (S.D.O, Giridih)

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

10.11.23

अभिलेख उपस्थापित। यह Misc. Appeal वाद u/s 16 , r/w sec 2 B of maintenance and welfare of parents and senior citizens Act 2007 के तहत अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह के द्वारा वाद सं 04/2020 में दिनांक 10.01.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।
अपीलीय आवेदन को दिनांक 25.07.2023 को स्वीकृति प्रदान करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा विभिन्न तिथियों में सुनवाई की गई।

अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा वाद सं0 04/2020 में दिनांक 10.01.2021 को पारित आदेश मुख्य अंश।

सभी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि मोहिनी देवी जलान, पति स्व0 किशन लाल जलान का वर्तमान में अपना कोई निवास स्थान नहीं रहने के कारण प्रश्नगत मकान के निचले तल्ले की दो कमरे उन्हें विपक्षी यथावत सौंप दें। निचले तले का शेष भाग बटवारानामा का मामला है, जो सक्षम न्यायालय से संबंधित है। विपक्षीगण को यह भी आदेश है कि प्रथम पक्ष को किसी प्रकार से प्रताड़ित न करें अन्यथा विधि–सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

अपने अपीलीय आवेदन में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः निम्न तर्क प्रस्तुत किया गया है:–

1. That the instant appeal has been filed by the appellant above named against the order dated 10.01.2021 passed in case no 04/2020 filed under Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 passed by learned Sub-divisional Magistrate at Giridih to modify the order to the extent by correcting the order to the such an extent that the " two rooms" which has been mentioned may be corrected as "two rooms including hall and washroom as well as the entire ground floor".

2. That the appellant has preferred case no 04/2020 under section 5 of Maintenance and welfare of Parents and senior Citizens Act. 2007, whereby and whereunder the learned court has granted two rooms to the petitioner.

3. That the said order has been passed in a very mechanical manner and as such the two rooms have been only mentioned neglecting the fact that the said two rooms includes the hall and washroom.

4. That it is pertinent to mention here that there is only one entrance in the ground floor of the property in question and the whole ground floor was occupied by Ashok Jalan and Varun Jalan by cutting the iron lock and also assaulted the petitioner for which Giridih P.S. Case no 181/2021 was registered against said Ashok Jalan and Varun Jalan.

5. That the petitioner was in continuous possession in the ground floor for more than 25 years which is also not a disputed fact and in spite of that the same has not been considered by the learned court of S.D.M, Giridih for which the petitioner has preferred an application dated 08.06.2023 which is pending before the learned court.

6. That the order dated 10.01.2021 in case no 04/2020 do not indicate that said Ashok Jalan or Varun Jalan is having their rightful possession instead of that they have forcefully occupied the hall as well as two rooms including the whole ground floor.

7. That the application filed by the petitioner before the Sub Divisional Magistrate. Giridih is pending for modification of the said error but the same is not being taken into consideration yet.

सरकारी अधिवक्ता द्वारा सरकार के पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किया गया।

1. अपीलार्थी के आवेदन अथवा कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक 1744/सा0 दिनांक 30.12.2020 एवं निदेशक डी0आर0डी0ए0 के पत्रांक 1701/अभि0, दिनांक 19.10.2022 के जाँच प्रतिवेदन में कहीं भी केवल दो कमरा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं किया गया है।

2. चूँकि निम्न न्यायालय मे भी अपील Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007 के तहत दायर किया गया है इसलिए अपीलार्थी को Basic Amenities कि व्यवस्था मिले यह विधिसम्मत प्रतीत होता है।

3. वादगत मकान का बटवारा का मामला व्यवहार न्यायालय में चल रहा है।

विचारण एवं निष्कर्ष

1. The Maintenance and Welfare of parents and senior citizens Act, 2002 U/S 2(B) के अनुसार "Maintenance" includes provision for food, clothing, residence and medical attendance and treatment and U/S 4(2) के अनुसार "The obligation of the children or relative, as the case may be, to maintain a senior citizen extends to the need of such citizen so that senior citizen may lead a normal life.

2. In Hon'ble High Court of Jharkhand, Ranchi W.P(C) no 5120 of 2021 Mohini Devi Jalan Vs State of Jharkhand and others it is mentioned that "9. Executive magistrate-cum-sub-divisional officer, Giridih, who had taken steps to ensure compliance of the order dated 10.01.2021 by issuance of notice dated 05.02.2021, is directed to do the needful so that the order dated 10.01.2021 is complied with in letter and spirit. The needful be done within a period of one months from the date of production of a copy of this order and the writ records by the petitioner before the executive magistrate-cum-sub-divisional officer, Giridih.

3. कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक 1744/सा0 दिनांक 30.12.2020 के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि:–

i. वर्तमान में स्व0 जलान का मकान में आवास तीन हिस्से में बँटा हुआ है। उपरी तले में दो हिस्से में आवास है, जिसमें एक में अशोक जलान, दुसरे हिस्से में प्रिंस जलान एवं तीसरे हिस्से निचला तले में है, जहाँ श्रीमती मोहिनी देवी जलान रहा करते थे। श्री अशोक जलान द्वारा श्री मोहिनी देवी जलान को निचले तले के आवास से हटा दिया। सभी ने बताया कि बँटवारा के लिए माननीय सिविल न्यायालय में याचिका दायर किया गया है।

ii. माननीय न्यायालय के आदेश आने तक श्रीमती मोहिनी देवी जलान को निचले तले आवास में रहने का निर्देश दिया जा सकता है, क्योंकि श्रीमती जलान का वर्तमान में अपना कोई निवास स्थान नहीं है।

4. निदेशक डी0आर0डी0ए0 के पत्रांक 1701/अमि0, दिनांक 19.10.2022 के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि:–

i. वर्तमान में जाँच के दौरान केवल अशोक जलान द्वारा ही भूतल की जगह का उपयोग करते हुए पाया गया क्योंकि हॉल में उनका ही दूकान के लिए सामान रखा हुआ है और वे ही इसे गोदाम के रूप में उपयोग कर रहे है। जबकि इस जगह का उपयोग common area के तौर पर होना चाहिए था जब तक किसी सक्षम न्यायालय से इस संबंध में फैसला न आ जाए।

ii. हॉल में अशोक जलान द्वारा गोदाम बनाकर इतना सामान भर दिया गया है कि लगभग 70 वर्षीय विधवा वृद्धी महिला के लिए " अकेला रहना दुश्कर कार्य है, क्योंकि रात–बिरात ठोकर खाकर गिरने से चोटिल हो सकती है। साथ ही, दरवाजा का कूंडा नहीं रहने से "सुरक्षित" भी नहीं है। कोई अनहोनी घटना होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पूर्व में घटित कुछ घटनाएँ स्थानीय लोगों एवं शहर थाना के संज्ञान में भी है।

निष्कर्ष

उक्त विवरण, अभिलेखबद्ध दस्तावेजों के अवलोकन , अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी मोहिनी देवी जलान जो कि एक लगभग 70 वर्षीय वृद्ध महिला है, कि वस्तुस्थिति को दृष्टिपथ में रखते हुए Natural justice के तहत वादगत मकान के निचले तल्ले (भूतल) जहाँ पर अपीलार्थी पूर्व

के वर्षो में आवासन कर रही थी, वहाँ दो कमरो के साथ हॉल एवं washroom का उपयोग किये जाने कि स्वीकृति प्रदान करना न्यायाउचित प्रतित होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा वाद सं0 04/2020 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2021 में दो कमरा के स्थान पर, दो कमरा ,हॉल एवं वाशरूम के साथ जहाँ अपीलार्थी पूर्व के वर्षो में आवासन कर रही थी, को आवासन हेतु उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा वाद सं0 04/2020 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2021 को इस हद तक संशोधित किया जाता है, शेष आदेश यथावत् रहेंगें। अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह को निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को शान्तिपूर्ण तरिके से आवासन हेतु मकान के निचले तल में दो कमरा, हॉल (खाली करा कर) एवं वाशरूम एक पक्ष के अन्दर हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।

यह आदेश वादगत मकान से संबंधित वाद जो माननीय उच्च न्यायालय/व्यवहार न्यायालय में विचाराधिन हो के आदेश के फलाफल से आच्छादित/प्रभावित होगा।

आदेश की प्रति उभय पक्षों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अन्त में वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एंव संशोधित।

10/11/23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

10/11/23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

ज्ञापांक 949 /न्या0 दिनांक 10/11/2023

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ तथा उक्त आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख के साथ अनुपालनार्थ प्रेषित।

10/11/23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

Digitally signed by NAMAN PRIYESH LAKRA
Date: 2023.11.16 19:05:49 +05:30
Location: fd01::55d7:42e3:343f:e0e6